झारखण्ड विधान सभा

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में प्रयोज्यता हेत "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" में संशोधन के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

(1) इस अधिनियम का नाम "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021" कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (जिसे एतद पश्चात "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के धारा 4 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा: -

"धारा 4. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेगा।"

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए शब्द "सेवन" से धूम्रपान और तम्बाकू/ तम्बाकू उत्पाद के थूकने से अभिप्रेत है।

3. मूल अधिनियम में धारा 4 के बाद, निम्न धारा को अन्त:स्थापित किया जाएगा -

"धारा 4अ. कोई भी व्यक्ति, स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए, किसी भी स्थान पर, जिसमें सार्वजनिक खान-पान का स्थान भी शामिल है, हुक्का बार नहीं खोलेगा।"

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए, शब्द "हुक्का बार" से ऐसा प्रतिष्ठान जहाँ कोई व्यक्ति, सामुदायिक या व्यक्तिगत तौर पर हुक्का या नार्गिल का सेवन करने अथवा धुम्रपान हेतु एकत्रित होते हैं अथवा जहाँ हुक्का प्रदान किया जाता है, अभिप्रेत है।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 के लिए निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"धारा 6: कोई भी व्यक्ति -

(क) जो इक्कीस वर्ष से निम्न आयु का है उसको सिगरेट या अन्य कोई भी तंबाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा, या

(ख) किसी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और न्यायालय के सौ मीटर की परिधि के भीतर, सिगरेट या अन्य कोई भी तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा, या

(ग) सिगरेट या अन्य कोई भी तंबाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति, खुला सिगरेट अथवा खुला पैकेट में, नहीं देगा।"

5. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप- धारा (1) में, शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. मूल अधिनियम में धारा 21(2) के बाद, निम्न धारा को अन्तःस्थापित किया जायेगा-

"धारा 21(3). हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड -कोई भी व्यक्ति जो धारा 4अ का उल्लंघन करता है, कारावास जिसकी अवधि तीन (3) वर्ष की हो सकेगी, लेकिन जो एक (1) साल से कम नहीं होगी तथा जुर्माना, जो कि एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, लेकिन पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा"

7. मूल अधिनियम में धारा 24 की उप- धारा (1) में शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. मूल अधिनियम की धारा-27 के लिए, निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा जो इस प्रकार है:-

"27-अपराध जमानती और संज्ञेय होंगे-

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रावधानो के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध, जमानती होगा।

(2) किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 4अ, 5 और 7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे।"

9. मूल अधिनियम में धारा 28 की उप- धारा (1) में शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "एक हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

यह विधेयक सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक- 22 मार्च, 2021 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक- 22 मार्च, 2021 को सभा द्‌वारा पारित हुआ |

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष |

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 3—50—6-4-2021